तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.31/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
08–7–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अशोक कुमार बांकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप बांकलीवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स खुशबु डेयरी, कलावन्त वास, मिल के पीछे, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24–2–2025 को मैसर्स खुशबु डेयरी, कलावन्त वास, मिल के पीछे, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अशोक कुमार बाकलीवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-2566 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./692/Act/2025/665 दिनांक 10–3–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी अशोक कुमार बाकलीवाल ने इस न्यायालय में दिनांक 04–7–2025 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने दूध को बाहर से खरीद कर दही बनाया था जिसमें उसने कोई मिलावट नही की गई है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 24–2–2025 को मैसर्स खुशबु डेयरी, कलावन्त वास, मिल के पिछे, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अशोक कुमार बाकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप बाकलीवाल, निवासी– अम्बिका कॉलोनी, आबूरोड से उक्त खुशबु डेयरी में आम जनता को विक्रय करने हेतु एक स्टील के टंकी में रखे हुए खाद्य पदार्थ दही (खुला) लगभग 8 किलोग्राम में से 800 किलोग्राम दही को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ दही के नमूना संख्या S-2566 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./692/Act/2025/665 दिनांक 10–3–2025 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अशोक कुमार बांकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप बांकलीवाल, खाद्य कारोबारकतार्र एवं प्रोपराईटर, मैसर्स खुशबु डेयरी, कलावन्त वास, मिल के पिछे, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.31/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	आदेश अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही के विक्रय हेतु प्रतिवादी अशोक कुमार बांकलीवाल पुत्र श्री रामप्रताप बांकलीवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स खुशबु डेयरी, कलावन्त वास, मिल के पिछे, पिण्ड़वाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी अशोक कुमार बांकलीवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12–8–2025 को पेश हो। **(डॉ. दिनेश राय सापेला)** अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	